संशोधित–पत्र

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक 1524 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 1-12 नवम्बर, 2022.

सेवा में,

श्री चिन्मय विश्वास, वरिष्ठ प्रबन्धक,
परियोजना, सी0जी0डी0 यू0पी0 कलस्टर,
एच0पी0सी0एल0, शहरी गैस वितरण परियोजना,
यू0पी0 एण्ड यू0के0 कलस्टर प्रथम एवं द्वितीय तल,
महालक्ष्मी टावर्स 112 सिविल लाईन्स, बरेली–243001

विषयः– जनपद मुरादाबाद में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पो0 लि0, बरेली द्वारा मुरादाबाद–रामपुर मार्ग (एन0एच0–09) कि0मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दॉयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। **(प्रस्ताव सं0–एफ0पी0/यू0पी0/पाईपलाईन/141464/2021)**

सन्दर्भः– सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–2709/81–2–2022–800 (274)/2022 दिनांक 03–11–2022 जो इस कार्यालय को 23–11–2022 को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र दि0 03–11–2022 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 32 तक के संबन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2501/11–सी0 दिनांक 24–05–2016 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं0–384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि0 14–09–2015 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र **(5 प्रतियॉ मूल में)** अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेः–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA Fund only through E-portal.
3. The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed ceritificate from the concerned District Collector.
4. User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986 if applicable.
5. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6. No labour camp shall be established on the Forest Land.
7. Sufficient fire wood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest development corporation or any other legal souce of alternate fuel.
8. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.
9. The forest land proposed to be diverted shall uner no circomstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. Of India.
10. Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MOEF & CC Guide line F. no. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.
11. Any other condition that the ministry of environment, forests & climate change may stipulate from time to time in the intrest of conservation protection and development of forests & wildlife.
12. The compliance report shall be uploaded on E-portal (https//parivesh.nic.in).
13. पाइप लाईन/टेलीफोन लाईन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे–किनारे ही बिछाये जायेंगें।
14. गैस पाइप लाईन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
15. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोंदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा की भू–क्षरण की सम्भावना न हो।
16. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
17. वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
18. प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षरण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

Scanned with CamScanner

19. भूमि का सरफेस राइट्स नही दिया जायेगा एवं वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

20. राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07–01–2011 **(प्रति संलग्न)** मे अंकित 02 बिन्दुओं में गैस पाइपलाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

21. प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

22. प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

23. भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफसी(पीटी), दिनांक 19–8–2010 तथा पत्र संख्या–जे–11013/41/2006–आई0ए0–।।(।), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

24. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

25. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–9/98 एफसी, दि0 8–7–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

26. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।

27. नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगें।

28. प्रस्ताव विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हर संभव उपाय करेगें।

29. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

30. उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।

31. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत् में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0),क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण में वांछित धनराशि **रू0–5,47,324/–(भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक–5–3/2011–एफ0सी0 (वोल–1,) दिनांक 06–01–2022 के कम में)** ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

32. उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रस्तावित स्थल आर0ओ0डब्लू0 से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

**संलग्नक–यथोपरि।**

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक 1524 (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ।
2– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
3– क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।
4– लेखा प्रभारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

o/c

Scanned with CamScanner

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक 1511 /29-1 दिनांक 31 दिसम्बर / 2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक परियोजना
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू०पी० और यू०के० कलस्टर 112
सिविल लाइन्स बरेली।

विषय- पी०एन०जी० गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक 1036/5-1 दिनांक 23 अक्टूबर 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि उ०प्र० शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश दिनांक 7.01.2011 में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी भी एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु डी०डी० संख्या 399391 दिनांक 23.12.2021 रु० 15730000/- (रु० एक करोड़ सत्तावन लाख तीस हजार रु० मात्र) इस कार्यालय को प्राप्त हो गया है।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक /5-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा०प्रभाग शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 1482/14-1 दिनांक 22.10.2021 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

# (एन०पी०वी०) की गणना सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लिमिटेड बरेली, द्वारा मुरादाबाद – रामपुर रोड़ एन०एच०-09 (कि0 मी0 168.9 से 179.29) तक लगभग 10.390 कि0 मी0 तक दायीं पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.57145 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य निम्नवत है।

| क्रम सं | एरिया | इको-क्लास | घनत्व | एन०पी०वी०प्रति है० | कुलयोग (एन०पी०वी०) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.57145 है0 | 03 | 0.2 | 9,57,780 | 5,47,324 |

चिन्मय विश्वास
CHINMOY BISWAS
मुख्य प्रबंधक–परियोजना
Chief Manager-Project

(चिन्मय विश्वास)

मुख्य प्रबंधक –परियोजना
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद